उज्जैन में कार ने दो बाइक को मारी टक्कर, दंपति समेत चार की मौत

भीषण हादसे में दोनों बाइक जलकर खाक

उज्जैन, (आरएनएन)। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गोयला में बुधवार को एक कार ने दो बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में दंपति समेत चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस घटना के बाद अर्टिका कार पलटी खा गई। वहीं, मोटरसाइकिलों में भी आग लग गई। मृतक दंपति बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई।

भैरवगढ़ थाना पुलिस ने बताया कि बुधवार को उन्हेल रोड गोयला चकरावदा टोल पर दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर चार लोग उन्हेल की ओर जा रहे थे, तभी सामने की ओर से आ रही अर्टिका कार ने मोटरसाइकिल चालकों को जोरदार टक्कर मार दी। यह दुर्घटना इतनी भयावह थी कि इस घटना में वाहनों में तो आग लगी ही साथ ही मोटरसाइकिल पर सवार दो पुरुष और दो महिलाओं की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार मुंशी व उसकी पत्नी जुबेदा और जसवंत एवं उसकी पत्नी निर्मला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल कार ड्राइवर को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया। भैरवगढ़ थाना पुलिस जानकारी लगते ही तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गई थी, जो कि गाड़ी के नंबरों के आधार पर मृतकों का पता लगाने में जुटी हुई है।

शहडोलः सड़क हादसे में एएसआई की मौत

शहडोल। जिले के ब्यौहारी थाना में पदस्थ एएसआई की सड़क हादसे में मौत हो गई। मंगलवार दोपहर एएसआई अंजनी तिवारी सतना जिले में पीएम की वीआईपी ड्यूटी में जा रहे थे। तभी दोपहर बाद गोविंदगढ़ जिला रीवा घरखी मोड़ के पास सड़क हादसे का शिकार हो गए। तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया जिसमें सहायक उप निरीक्षक अंजनी की मौके पर ही मौत हो गई है।

दशहरा पर्व से लौट रहे बाइक सवार दो लोगों की मौत

शहडोल। जिले के बुढार थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतकों की पहचान नारायण सिंह (30) और तेजभान सिंह (25) के रूप में हुई है। ये दोनों मंगलवार ग्राम अपने गांव देवरी से दशहरा समारोह देखने के लिए गए थे। लौटते समय देर रात उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और बुधवार सुबह दोनों के शव देवदहा नाले की पुलिया के पास से मिले। सूत्रों ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला सड़क हादसे का ही लग रहा है, फिर भी पुलिस ने मामले को जांच में ले लिया है।

जनता कांग्रेस की दूसरी सूची जारी

कोटा से चुनाव लड़ेंगी रेणु जोगी, ऋचा को अकलतरा से टिकट

रायपुर, (ब्यूरो)। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) की केंद्रीय चुनाव समिति ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की द्वितीय सूची जारी की है। इसमें कोटा सीट से एक बार फिर डॉ. रेणु जोगी और अकलतरा से डॉ. ऋचा जोगी चुनाव लड़ेंगी।

दूसरी सूची में इन्हें मिला टिकट

1. प्रेमनगर	जगलाल सिंह देहाती
2. पाली-तानाखार	छत्रपाल सिंह कंवर
3. कोटा	डॉ. रेणु जोगी
4. बिलासपुर	अखिलेश पाण्डेय
5. मस्तुरी	चांदनी भारद्वाज
6. अकलतरा	डॉ. ऋचा जोगी
7. जैजैपुर	टेकचंद चंद्रा
8. कसडोल	बाबा मनहरण गुरुसाई
9. रायपुर ग्रामीण	मनोज बंजारे
10. गुंडरदेही	राजेंद्र कुमार राय
11. भिलाई नगर	जहीर खान

महिला उम्मीदवारों की होड़ में कांग्रेस ने भाजपा को पीछे छोड़ा

दोनों पार्टियों की चार सीटों पर महिला प्रत्याशियों की सीधी भिड़ंत

बिलासपुर, (ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए महिला उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 15 प्रत्याशियों की तुलना में अपने 18 उम्मीदवार घोषित कर भाजपा को पीछे छोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों के लिए होने वाले चुनावों में कांग्रेस ने 18 महिलाओं को टिकट दी है जबकि भाजपा ने 15 महिला उम्मीदवार बनाये हैं। इनमें चार सीटों पर दोनों प्रमुख प्रतिद्वंद्वी पार्टी की महिला प्रत्याशियों के बीच सीधी भिड़ंत की स्थिति है।

कांग्रेस की ओर से घोषित महिला उम्मीदवारों में बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव, प्रतापपुर(सु) से राजकुमारी मरावी, लैलुंगा(सु) से विद्यावती सिदार, सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े , पाली-तानाखार(सु) से तुलेश्वरी सिदार, तखतपुर से रश्मि आशीष सिंह, पामगढ़(सु) से शेषराज बर्मन , सरायपाली(सु) से चातुरी नंद, महासमुंद से रश्मि चंद्राकर, बिलाईगढ़(सु) से कविता लहरे , धरसींवा से छाया वर्मा , सिहावा(सु) से अंबिका मरकाम, कुरूद से तारणी चंद्राकर, संजारी बालोद से संगीता सिन्हा , डौंडीलोहारा(सु) से अनिला भेड़िया, खैरागढ़ से यशोदा वर्मा, डोंगरगढ़(सु) से हर्षिता स्वामी बघेल और भानुप्रतापपुर(सु) से सावित्री मंडावी शामिल हैं।

राज्य में मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भरतपुर सोनहत(सु) से रेणुका सिंह, भटगांव से लक्ष्मी रजवाड़े, प्रतापपुर(सु) से शकुंतला सिंह, सामरी(सु) से उद्देश्वरी पैकरा, जशपुर (सु) से रायमुनि भगत, पत्थलगांव(सु) से गोमती साय, लैलुंगा(सु) से सुनीति सत्यानंद राठिया, सारंगढ़ (सु) से शिवकुमारी चौहान , चंद्रपुर से संयोगिता सिंह जूदेव , सरायपाली(सु) से सरला कोसरिया, खल्लारी से अलका चंद्राकर , धमतरी से रंजना साहू , पंडरिया से भावना वोहरा , खुज्जी से गीता साहू और कोंडागांव से लता उसेंडी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दिलचस्प तथ्य यह भी है कि प्रतापपुर, लैलुंगा, सारंगढ़ और सरायपाली चारों सुरक्षित सीटों पर कांग्रेस तथा भाजपा की महिला उम्मीदवार आमने-सामने हैं।

कान्हा नेशनल पार्क पहुंचे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर

परिवार के साथ उठाया जंगल सफारी का लुत्फ

मंडला, (आरएनएन)। कान्हा नेशनल पार्क में क्रिकेटरों में शुमार सचिन तेंदुलकर बुधवार को अपने परिवार के साथ पहुंचे। जहां सचिन ने परिवार संग जंगल सफारी का आनंद उठाया।

जानकारी के अनुसार कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में नए सत्र का पर्यटन की शुरुआत हो गई है। इसी बीच मशहूर हस्तियों के यहां आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ यहां घूमने पहुंचे, वहीं उनके इस दौरे को गोपनीय रखा गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वे दो दिन कान्हा में सफारी करेंगे। बता दें कि सचिन और उनकी फैमली कान्हा के मुक्की रेंज में ठहरी हैं।

स्मैक पावडर के साथ चार आरोपी पहुंचे जेल

सिवनी। जिले में बड़ी मात्रा में स्मैक पावडर के साथ गिरफ्तार चार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि कुरई विकासखंड में स्थित मेटेवानी आरटीओ चौकपोस्ट पर मंगलवार को पुलिस द्वारा नागपुर तरफ से आ रही वाहन की चौकिंग के दौरान 13 ग्राम स्मैक पावडर (कीमती 150000 रुपए) बरामद किया गया। इस मामले में कार में सवार हर्ष सनोडिया, विश्वास उइके, विवेक सिंह बघेल और हर्ष वरकड़े को गिरफ्तार किया गया, न्यायालय में पेश होने पर वहां से आदेश के बाद जेल भेज दिया गया।

कांग्रेस का प्रत्याशी बदलने के बाद भी प्रदर्शन, प्रचार सामग्री में लगाई आग

सुमावली विधानसभा में फिर बगावत शुरू

मुरैना, (आरएनएन)। जिले के सुमावली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस द्वारा बुधवार को प्रत्याशी बदलने की घोषणा के बाद पूर्व में घोषित किए गए प्रत्याशी कुलदीप सिंह सिकरवार के समर्थकों ने सड़क पर आकर प्रदर्शन किया और पार्टी की प्रचार सामग्री को भी जला दिया।

कांग्रेस ने सुमावली से पूर्व में मौजूदा विधायक अजब सिंह कुशवाह के स्थान पर कुलदीप सिंह सिकरवार को प्रत्याशी घोषित किया था। इसके बाद कुशवाह के समर्थकों ने प्रदर्शन किया था और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में जाने की घोषणा कर दी थी। इस बीच कांग्रेस ने बुधवार को फिर से कुशवाह को सुमावली से अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया और इसके बाद कुलदीप सिंह सिकरवार के समर्थकों ने

प्रदर्शन किया। अब सिकरवार ने भी बसपा में जाने की घोषणा कर दी है।

सिकरवार के समर्थकों का कहना है कि विधायक अजब सिंह कुशवाह का टिकट कटने के बाद उन्होंने आनन-फानन में बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी और कांग्रेस पार्टी की जमकर खिलाफत की। इसके अलावा कुशवाह ने सार्वजनिक तौर पर मुरैना जिले की सभी छह विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को हराने का संकल्प लिया था। इसके बाद भी उन्हें फिर से टिकट दे दिया गया। इस बीच कुलदीप सिंह सिकरवार ने टिकट बदले जाने के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उनके साथ पार्टी ने गद्दारी की है। पहले टिकट दिया और फिर बदल दिया। यह सुमावली क्षेत्र में उनका सार्वजनिक अपमान की तरह है। उन्होंने आगे की रणनीति का ज्यादा खुलासा नहीं किया, लेकिन संकेत दिए कि वे इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे।

बाघ के हमले से महिला की मौत, चार दिन बाद क्षित-विक्षित हालत में मिला शव

सिवनी। जिले के वन परिक्षेत्र अरी के बफर जोन में बीते 21 अक्टूबर को लापता एक 55 वर्षीय महिला का शव बुधवार की सुबह क्षित-विक्षित हालत में पाया गया। विभागीय अधिकारियों द्वारा उक्त महिला की मौत बाघ के हमले से होना बताया जा रहा है क्योंकि शव के पास बाघ के पंजे के निशान भी मिले है। जानकारी के अनुसार ग्राम रमपुरी चिखलापानी निवासी जयवंती बाई पति टेकचंद परते 55 वर्ष बीते 21 अक्टूबर को अन्य तीन महिलाओं के साथ मोहगांव सकाटा के जंगल में मवेशी चराने गई हुई थी जब शाम होने के पश्चात वह अपने घर वापस नहीं आई तो 22 अक्टूबर को परिजनों द्वारा कुरई थाना पहुंचकर महिला के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करायी गई, जिसके पश्चात से लगातार महिला की खोजबीन की जा रही थी।

पत्नी की हत्या के बाद पति ने लगाई फांसी

धमतरी, (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में मगरलोड क्षेत्र के ग्राम भेंड्री में पति ने पत्नी की हत्या करने के बाद खुद भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार करेली बड़ी चौकी अंतर्गत ग्राम भेंड्री में पति ने पत्नी की हत्या कर खुद फांसी पर झूल गया। बुधवार सुबह दोनों की लाश बरामद कर पुलिस जांच में जुट गई है। वीणा साहू (29) तीन माह से मायके में रह रही थी। पति गिरधारी साहू ससुराल में सप्ताह में एक दो बार आ जाता था। 23 अक्टूबर को गिरधारी साहू गांव में हिंगलाज माता की झांकी देखने आया था। मंगलवार की रात सपरिवार खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। बुधवार सुबह देर से नहीं उठने पर आवाज लगाई तो दरवाजा नहीं खोला। परिवार वालों ने सब्बल से दरवाजा खोला तो देखा कि वीणा साहू खाट पर मृत पड़ी है। बगल में 5 फिट की दूरी में पति गिरधारी पंखा के हुक में फांसी पर लटक रहा है।

पेज 1 का शेष

पातालकोट एक्सप्रेस बनी...

हम लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, इस वजह से बोगी से बाहर भागना पड़ा। वहीं, ग्वालियर के रहने वाले एकांत सिंह ने बताया कि चेन खींचकर ट्रेन को रोका गया। वहीं, आगरा वेस्ट के डीसीपी सोनम कुमार ने बताया कि पातालकोट एक्सप्रेस की 2 बोगियों में आग लगने की सूचना मिली। तुरंत पुलिस और फायर सर्विस की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पा लिया। 9 घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए भेजा गया है। कोई जनहानि नहीं है।

गगनयान को हेलिकॉप्टर...

इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में गिरे मॉड्यूल के अंदर के सिस्टम और पार्ट कैसे बचे रहे, इसका भी अध्ययन किया जा रहा है। स्पेस एजेंसी ने बताया कि इसरो अपनी योजना के मुताबिक एक इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट करेगा। इसकी तारीख क्रू मॉड्यूल के एनालसिस होने के बाद तय की जाएगी। अगर संभव हुआ तो दिसंबर तक टेस्ट किया जा सकता है।

गगनयान के सीईएस की टेस्टिंग हो चुकी: इसरो ने शनिवार 21 अक्टूबर को मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम (सीईएस) की सफल टेस्टिंग की थी। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 10 बजे इसे लॉन्च किया गया था। इस मिशन में 17 किमी ऊपर जाने के बाद सतीश धवन स्पेस सेंटर से 10 किमी दूर बंगाल की खाड़ी में क्रू मॉड्यूल (सीएम) को उतारा गया। रॉकेट में गड़बड़ी होने पर अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर सुरक्षित लाने वाले सिस्टम की टेस्टिंग की गई।

MOTILAL OSWAL HOME LOANS

Motilal Oswal Home Finance Limited

पंजीकृत कार्यालयः मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, अपोजिट परेल एसटी डिपो, प्रभादेवी, मुम्बई-400 025. दूरभाषः (022) 47 189999
वेबसाइटः- www.motilaloswalhf.com ईमेलः- hfquery@motilaloswal.com

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति/यों के लिए)

(सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल्स 2002 के नियम 8 (1) के तहत)

जहाँ कहीं **मोतीलाल ओसवाल होम फायनेंस लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने सिक्यूरीटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेन्सियल एस्सेटस एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंट्रस्ट कानून 2002 (2002 का 54) का नियम 8 (1) के अनुपालन के साथ सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल्स 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संबंधित ऋणकर्ताओं को प्रत्येक खातें में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान उपरोक्त सूचना (ओ) की प्राप्ति दिनांक /सूचना की दिनांक से 60 दिवस में करने हेतु बुलाया गया था।

निम्नलिखित उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, निम्नलिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां निम्न दर्शाई तिथि पर सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम के तहत निम्न वर्णित संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या / ऋणकर्ता / सह-ऋणकर्ता/ जमानतदार का नाम	मांगपत्र का दिनांक एवं शेष ऋण राशि	अधिग्रहण का दिनांक	गिरवी संपत्ति/यों का विवरण
1.	एलएक्सजीयूएन00417-180065155 दिनेश कुमार प्राण सिंह साहू और सुनीता दिनेश कुमार साहू	08-06-2023 रु. 248649/- के लिये	23-10-2023	प्लॉट नं. 25, पी.एच. नंबर 25, सर्वे नंबर 23/1/1, राघौगढ़, जिला गुना-473222, मध्य प्रदेश
2.	एलएक्सएसएजी00216-170049918 लखन कुमार बैजनाथ प्रसाद विश्वकर्मा एवं रजनीदेवी लखन कुमार विश्वकर्मा	15-07-2023 रु. 282956/- के लिये	21-10-2023	ख.नं.- 453/1/7 प्लॉट भाग, पी.एच. नं.-51, मौजा इटावा, वार्ड नं. 7, चंद्रशेखर वार्ड, बीना, तहसील बीना, जिला सागर-464240, मध्य प्रदेश
3.	एलएक्सबीएचओ00316-170030665 कमर नाथूराम राठौर एवं राज बाई नथ्थू सिंह राठौर	28-02-2019 रु. 973413/- के लिये	20-10-2023	वार्ड नंबर 37, गली नं. 5, पूरनपुरा विदिशा, शनि मंदिर के पास-464331 विदिशा, मध्य प्रदेश

विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के साथ लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन यहां ऊपर उल्लेखित राशि और उस पर ब्याज सहित के लिए मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा।
सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थानः मध्य प्रदेश
दिनांक : 26-10-2023
अनुवाद में त्रुटि या विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

हस्ता/-
प्राधिकृत अधिकारी,
(मोतीलाल ओसवाल होम फायनेंस लिमिटेड)

ADITYA BIRLA CAPITAL PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिड़ला फायनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: इंडियन रेयॉन कंपाऊंड, वेरावल, गुजरात-362266.
शाखा कार्यालय: रूम नं. 401, चतुर्थ तल, कैमेक स्कवायर, 24, कैमेक स्ट्रीट, कोलकाता - 700016

"परिशिष्ट IV-A"
[नियम 8(6) का प्रावधान देखें)]

अचल संपत्ति के विक्रय के लिये विक्रय सूचना

अचल संपत्ति(यों) के विक्रय के लिये सिक्यूरीटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेन्सियल एस्सेट्स एवं इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट एक्ट 2002 के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 (54 के 2002) के नियम 8(6) के प्रावधान के अनुसार ई-नीलामी विक्रय सूचना।

सामान्य जन को सार्वजनिक रूप में एवं ऋणकर्ता (ओं) एवं प्रतिभूतिकर्ता (ओं) को विशेष रूप में यह सूचना दी जाती है कि नीचे दर्शाई अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के गिरवी/प्रभार में है, जिसका कब्जा **ऋणकर्ताओं/सह-ऋणकर्ताओं/गिरवीकर्ताओं जिनके नाम 1. मेसर्स राहुल ट्रेडिंग कंपनी (उधारकर्ता) प्रोपराइटरशिप कंसर्न का प्रतिनिधित्व इसके मालिक श्री नवनीत गुप्ता द्वारा, 2. नवनीत गुप्ता (मालिक/बंधककर्ता/गारंटर), 3. लीना गुप्ता (बंधककर्ता/गारंटर), 4. चंदर गुप्ता (बंधककर्ता/गारंटर), 5. नीलम गुप्ता (गारंटर), 6. मेसर्स सी.जी ट्रेडिंग कंपनी (गारंटर) प्रोप्राइटरशिप कंसर्न इसके प्रोपराइटर श्री चंदर गुप्ता से राशि भारतीय रु. में रु. 6,15,62,724.82/- (रूपये छह करोड़ पंद्रह लाख बाँसठ हजार सात सौ चौबीस और पैसे बयासी मात्र) (यह राशि टीडीएस गणना एवं पूर्व-भुगतान के अतिरिक्त है) 28.04.2023 को देय एवं उस पर वसूली की तिथि** तक भविष्य में लगने वाले ब्याज एवं अन्य व्ययों की वसूली के लिए आदित्य बिड़ला हाऊसिंग फायनेंस लिमिटेड/सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया जा चुका है, उक्त संपत्ति आदित्य बिड़ला हाऊसिंग फायनेंस लिमिटेड/सुरक्षित लेनदार के द्वारा **"जहाँ है, जैसा है", "जैसा है, वैसा है" एवं "जो भी है"** आधार पर **18 नवंबर, 2023** को नीलामी के माध्यम द्वारा विक्रय कर दी जायेगी।

निम्न दर्शाई **संपत्ति-1 के लिए** आरक्षित मूल्य रू. रू. 9,89,28,675/- **(रुपये नौ करोड़ नवासी लाख अट्ठाईस हजार छह सौ पचहत्तर मात्र) होगी और बयाना राशि 98,92,867.50/- (रुपये अंठ्यानबे लाख बयानबे हजार आठ सौ सड़सठ और पचास पैसे मात्र) होगी। जबकि संपत्ति-2 के लिए** आरक्षित **मूल्य रु. 68,89,950/- (रुपये अड़सठ लाख नवासी हजार नौ सौ पचास मात्र) होगी और बयाना राशि रु. 6,88,995/- (रुपये छह लाख अठ्यासी हजार नौ सौ पंच्यानबे मात्र) होगी**

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति (1)-ग्राम-कुम्हारी, पी.एच. 46, राजस्व मंडल, अहि बारा विकास खंड धमधा, तहसील - दमधा, जिला - दुर्ग (छ.ग.) में स्थित भूमि के सभी भाग व अंश, कब्ज़ा एवं स्वामित्व वाली भूमि, कृषि भूमि (विधिवत वाणिज्यिक में परिवर्तित), प्रकृति - असिंचित भाटा, खसरा नंबर 1450/3 , एवं 1450/6 (शेष भाग), क्षेत्रफल-0.206 हेक्टेयर अर्थात 0.51 एकड़ किराया 0.60 रूपये जो कि जी.ई. रोड (मेन रोड) से 400 फीट से अधिक दूरी पर स्थित है तथा जिसे संलग्न पटवारी मानचित्र में दर्शाया गया है। विलेख में (जिसे विलेख के अलग भाग के रूप में संलग्न किया जाएगा)। भूमि में कोई पेड़, कुआँ आदि नहीं है, भूमि नगर निगम के क्षेत्र में है और निम्नानुसार बंटी और सीमाबद्ध है:
उत्तर में- मालिक के परिवार की भूमि,
दक्षिण में- मालिक के परिवार की भूमि,
पूर्व में- मालिक की भूमि,
पश्चिम में- रेलवे की भूमि

संपत्ति (2)- भूमि अंश डी 7, सेक्टर 30 नया रायपुर के भीतर निर्मित संपत्ति के सभी भाग और अंश, ग्राम-नवागांव, पी.सी. नंबर 18, आरआईसी-मंदिर हसौद, नया रायपुर, तहसील- आरंग, जिला रायपुर सी.जी में अपार्टमेंट नंबर 802, 4बीएचके, ब्लॉक "ए" टावर-1 की 8वीं मंजिल, मेफेयर के सभी अंश भाग, जिसका कब्जा क्षेत्र 2510 वर्ग फुट है। कारपेट एरिया 1865 वर्ग फुट (श्री नवनीत गुप्ता के स्वामित्व में) और निम्नानुसार बंटी और सीमाबद्ध है:
उत्तर में- खुली जगह से   दक्षिण में-खुली जगह से
पूर्व में- खुली जगह से   पश्चिम में-सीढ़ी केस लॉबी

जिसमें भूमि/सतह खसरा नंबर 650/2, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658 और 670 में कुल 255388 वर्ग फुट के सभी अंश भाग में अविभाजित आनुपातिक हिस्सा शामिल है, जी.टी. लाइफ स्पेस डी-7, सेक्टर- 30, नया रायपुर (सी.जी.) द्वारा कवर किया गया और निम्नानुसार बंटी और सीमाबद्ध है:
उत्तर में- प्लॉट नंबर डी-6   दक्षिण में- प्लॉट नंबर डी-8 और हरित क्षेत्र
पूर्व में- 9 मीटर चौड़ा फैला और हरित क्षेत्र   पश्चिम में- 24 मीटर चौड़ी सड़क

विक्रय की विस्तृत नियम व शर्तों के लिये कृपया आदित्य बिड़ला हाऊसिंग फायनेंस लिमिटेड/ सुरक्षित लेनदार की वेबसाईट अर्थात् https://mortgagefinance.adityabirlacapital.com/ Pages/ Individual/Properties-for-auction-under-sarfaesi-Act.aspx or https://sarfaesi.auctiontiger.net

तिथि: 26 अक्टूबर, 2023
स्थान: कुम्हारी-दुर्ग एवं रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्राधिकृत अधिकारी
आदित्य बिड़ला फायनेंस लिमिटेड
दूरभाष: 9503198114

MOTILAL OSWAL HOME LOANS

मोतीलाल ओसवाल होम फायनेंस लिमिटेड

सीआईएन नं.: U65923MH2013PLC248741
मुख्य कार्यालय: मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई-400025, ईमेल:-hfquery@motilaloswal.com
शाखा कार्यालय: सर्वे नं. 1010, पीएचएन 75, प्लॉट नं. 28, वार्ड नं. 22, ऑफिस नं. 201, प्रथम तल, महावीरपुरा, वंदना कॉन्वेंट स्कूल के पास, एबी रोड, गुना -473001, मध्य प्रदेश
संपर्क सूत्र : - गौरव सरैया - 7389148935 एवं तरूण रघुवंशी - 8655768910

ई-नीलामी सह विक्रय के लिए आम सूचना

सिक्यूरीटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेन्सियल एस्सेट्स एवं इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट एक्ट, 2002 एवं सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 8 और 9 के परंतुक के साथ पठित के तहत अचल संपत्ति (ओं) की बिक्री के लिए 30 दिनों की ई-नीलामी विक्रय सूचना

ऋणकर्ता/ओं से वसूली के लिए सिक्यूरीटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेन्सियल एस्सेट्स एवं इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत **मोतीलाल ओसवाल होम फायनेंस लिमिटेड (पूर्व में बतौर एस्पयार होम फायनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ज्ञात)/सुरक्षित लेनदार** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे दर्शाई सुरक्षित संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया गया है। निम्न दर्शाये ऋणकर्ताओं/प्रतिभूतिकर्ता(ओं) से **मोतीलाल ओसवाल होम फायनेंस लिमिटेड (पूर्व में बतौर एस्पयार होम फायनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के शेष ऋण राशि की वसूली के लिए अधोहस्ताक्षर्कता नीचे वर्णित संपत्ति के क्रय हेतु ''जहाँ है, जैसी है'', ''जैसी है वैसी है'' एवं ''जो कुछ है, वैसे ही''**आधार पर अचल संपत्ति को विक्रय किया जायेगा, जो कि भौतिक अधिग्रहण में है। आरक्षित मूल्य, जमा धरोहर राशि, एवं धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि का विवरण नीचे दर्शाया गया है:-

ऋणकर्ता(ओं)/सह-ऋणकर्ता(ओं)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओं)/गिरवीकर्ता(ओं)/ के नाम	माँग सूचना 13(2) की तिथि व राशि	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य, ईएमडी एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	ई-नीलामी की तिथि व समय
ऋण खाता सं.: एलएक्सजीयूएन00417-180057369 शाखा: गुना उधारकर्ता: मुनेश साहू सह-उधारकर्ता: ममता बाई	28-02-2019 रु. 665464/- (रुपये छह लाख पैंसठ हजार चार सौ चौंसठ मात्र) के लिए	सर्वे/नं. 1422/मिन-41/मिन-1 पी/एच/नंबर 22 वार्ड नंबर 9 आरोन तहसील आरोन जिला गुना (एम/पी) 473101 गुना मध्य प्रदेश	**आरक्षित मूल्य**: रु 250000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) **ईएमडी**: रु. 25000/- (पच्चीस हजार रूपये मात्र) **ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि**: 09-11-2023	**तिथि: 10-11-2023** समय: प्रातः 11:00 से सायं: 5:00 बजे (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित)
ऋण खाता सं.: एलएक्सजीयूएन00417-180052555 शाखा: गुना उधारकर्ता: जगमोहन मन्ना लाल शर्मा सह-उधारकर्ता: आराधना जगमोहन शर्मा	28-02-2019 रु. 778249/- (रुपये सात लाख अठहत्तर हजार दो सौ उनचास मात्र) के लिए	पी.एच.नंबर 40 नं. 606/2 मिन-1 वार्ड नंबर 2 कुंभराज गुना- 473222 मध्य प्रदेश	**आरक्षित मूल्य**: रु 150000/- (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) **ईएमडी**: रु. 15000/- (पंद्रह हजार रूपये मात्र) **ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि**: 09-11-2023	**तिथि: 10-11-2023** समय: प्रातः 11:00 से सायं: 5:00 बजे (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित)
ऋण खाता सं.: एलएक्सजीयूएन00417-180052765 शाखा: गुना उधारकर्ता: दिनेश ओझा सह-उधारकर्ता: नारायणी ओझा	27-04-2019 रु. 884205/- (रुपये आठ लाख चौरासी हजार दो सौ पांच मात्र) के लिए	पी/एच/एन 22 वार्ड नंबर 09 सर्वे 1443/ मिन 17/मिन 1 आरोन जिला गुना 473101 मध्य प्रदेश	**आरक्षित मूल्य**: रु 100000/- (केवल एक लाख रुपये) **ईएमडी**: रु. 20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र) **ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि**: 09-11-2023	**तिथि: 10-11-2023** समय: प्रातः 11:00 से सायं: 5:00 बजे (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित)

ई-नीलामी की नियम व शर्तें:-

1. नीलामी विक्रय बोली दस्तावेज की विस्तृत नियम व शर्तों एवं उस पर निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजित होगी। बोलीकर्ता बिड दस्तावेज के लिये **मोतीलाल ओसवाल होम फायनेंस लिमिटेड (पूर्व में बतौर एस्पयार होम फायनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ज्ञात)**, www.motilaloswalhfl.com/ की वेबसाईट पर एवं हमारे विक्रय एवं विपणन एवं ई-नीलामी सेवा भागीदार https://auctions.inventon.in के वेब साईट पर विजिट कर सकते हैं। ई-नीलामी एवं बोली हेतु रखी जाने वाली सुरक्षित संपत्तियों का विवरण एवं बोली फॉर्म ऑनलाईन जमा होगा।
2. ऊपर दर्शाई तिथि व समय पर ई-नीलामी में भागीदारी करने हेतु इच्छुक सभी क्रेताओं/बोलीकर्ताओं को अपना नाम ऊपर दर्शाई वेबसाईट https://auctions.inventon.in पर पंजीकृत करना एवं स्वयं का निशुल्क यूजर आईडी एवं पासवर्ड बनाना आवश्यक है।
3. किसी भी जानकारी, सहायता, सूचना, प्रक्रिया एवं ई-नीलामी में ऑनलाईन प्रशिक्षण हेतु भावी बोलीकर्ता हमारे विक्रय एवं विपणन एवं ई-नीलामी सेवा भागीदार **मे. इन्वेंटन सोल्यूशन्स प्रा. लिमिटेड के क्लाइंट सर्विस डिलीवरी (सीएसडी) डिपार्टमेंट से मोबाईल नं. + 91 9029086321_ एवं ईमेल आईडी: care@inventon.net/manoj.das@inventon.net पर या प्राधिकृत अधिकारी गौरव सरैया - 7389148935 एवं तरूण रघुवंशी - 8655768910 से संपर्क कर सकते हैं।**
4. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार संपत्ति/यों पर कोई अधिभार नहीं है, यद्यपि इच्छुक बोलीकर्ता भार, ई-नीलामी में शामिल संपत्ति/यों का टाईटल, दावे/अधिकार, ड्यूस/बोली को प्रभावित करने कारकों के संबंध में स्वयं जाँच-पड़ताल करें। ई-नीलामी विज्ञापन एमओएचएफएल की वचनबद्धता निर्मित नहीं करता। संपत्ति वर्तमान एवं भविष्य के सभी भारों के साथ विक्रय की जायेगी, चाहे वे एमओएचएफएल की जानकारी में हो अथवा नहीं। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी तृतीय पक्ष के दावे/अधिकार/ऋणों के लिये जिम्मेदार नहीं होंगे।
5. ई-नीलामी में भागीदारी करने हेतु, इच्छुक क्रेताओं/बोलीकर्ताओं को ऊपर दर्शाई सुरक्षित संपत्तियों के ब्याज मुक्त वापसी योग्य धरोहर राशि के भुगतान के विवरण **मोतीलाल ओसवाल होम फायनेंस लिमिटेड (पूर्व में बतौर एस्पयार होम फायनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ज्ञात)** को डिमांड ड्राफ्ट या **आरटीजीएस/एनईएफटी** के माध्यम से वेब पार्टल (https://auctions.inventon.in) पर जमा/अपलोड कर सकते हैं। खाते का विवरण निम्नानुसार होगा:- **बैंक नाम: एचडीएफसी बैंक, शाखा: लोअर परेल मुम्बई, बैंक खाता सं.: 00600340073530**, आईएफएससी कोड: HDFC0000060.एवं इसके साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, कंपनी के मामले में बोर्ड रिजोल्यूशन्स एवं पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रतिलिपियाँ *09-11-2023* **को सायं 04:00** *बजे* या इसके पूर्व।
6. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम में नहीं विक्रय की जायेगी। सफल बोलीकर्ता/क्रेता द्वारा निर्धारित राशि का 25% (धरोहर राशि सहित) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विक्रय के संबंध में स्वीकार करने के बाद ऊपर दर्शाये खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से 24:00 घंटे के भीतर उसका/उसकी प्रस्ताव की राशि जमा करनी होगी, इसमें असफल होने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
7. अन्य असफल बोलीकर्ताओं की राशि ई-नीलामी समाप्त होने पर एमओएचएफएल द्वारा 72 कार्याशील घंटों में वापस कर दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
8. सफल बोलीकर्ता/क्रेता द्वारा क्रय प्रतिफल की शेष राशि प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार द्वारा उसका/उसकी निर्णय के "विक्रय की पुष्टि" के पन्द्रहवें (15वें) दिन या इसके पूर्व अथवा उनके द्वारा लिखित में अनुमति दी गई अवधि में जमा करनी होगी। शेष विक्रय राशि के भुगतान में चूक होने पर निर्धारित अवधि में, जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
9. अचल संपत्ति के निरीक्षण की तिथि **02-11-2023 को प्रातः 11.30 बजे से सायं 4.00 बजे तक** है।
10. ई-नीलामी के किसी भी चरण में, प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के बोली/प्रस्ताव को स्वीकार/निरस्त/संशोधित/अस्वीकार एवं ई-नीलामी को स्थगित कर सकते हैं। उस स्थिति में जब कोई बोली निरस्त होती है, प्राधिकृत अधिकारी निजी संधि द्वारा शेष या इच्छुक बोलीकर्ताओं या अन्य पक्षों से संपत्ति के विक्रय के संबंध में मोलभाव कर सकते हैं।
11. सांविधिक भार, कर, भुगतान योग्य फीस, स्टैंप ड्यूटी, पंजीकरण फीस आदि सहित कोई अन्य बकाया संपत्ति उसका/उसकी पक्ष में प्राप्त हेतु लागू विधि के अनुसार सभी व्यय सफल बोलीकर्ता/क्रेता द्वारा भुगतान किया जाएगा।
12. विक्रय प्राधिकृत अधिकारी के पुष्टिकरण के विषयाधीन होगा।
13. ऋणकर्ता/प्रतिभूतिकर्ता, जो उपरोक्त शेष ऋण के जवाबदार हैं, ऊपर दर्शाई नीलामी विक्रय के लिये, इस सूचना को सिक्योरिटी इंट्रेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स के रूल 8(6) के अंतर्गत मान्य कर सकते हैं।
14. **ऋणकर्ता(ओं)/प्रतिभूतिकर्ता(ओं) को** नीलामी तिथि के पूर्व दर्शाई राशि भुगतान हेतु **सरफेसी एक्ट, 2002 के अंतर्गत 15 दिन की विक्रय सूचना** दी जाती है, असफल होने पर अचल संपत्ति विक्रय कर दी जायेगी तथा यदि कोई शेष हुआ तो ब्याज व लागत सहित वसूल की जायेगी। यदि ऋणकर्ता नीलामी तिथि के पूर्व पूर्ण राशि एमओएचएफएल को भुगतान कर देता है, तब नीलामी रोक दी जायेगी।
15. कुल शेष ऋण राशि, ऋण पुरोबंध राशि नहीं है। अन्य सभी अधिभार (यदि कोई हो) की गणना ऋण के पूर्ण भुगतान करते समय की जायेगी।
16. एमओएचएफएल ऊपर दर्शाई संपत्ति पर किन्हीं भी विलंबित देयताओं, चाहे जो भी हो, के लिये जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति **''जहाँ है, जैसी है'', ''जैसी है वैसी है'' एवं ''जो कुछ है, वैसे ही''**आधार पर नीलाम की जायेगी।
17. विक्रय सिक्यूरीटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेन्सियल एस्सेट्स एवं इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत नियमों/शर्तों के विषयाधीन हैं, जो समय-समय पर संशोधित होती रहती हैं, विक्रय को पंजीकृत कराना बोलीकर्ता/क्रेता की स्वयं की जिम्मेदारी है। स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ट्रांसफर चार्जेस और अन्य खर्चों संबंधित सभी तथा उपरोक्त संपत्ति के लिए विक्रय के रजिस्ट्रेशन संबंधित खर्च सफल बोलीकर्ता/क्रेता को वहन करने होंगे। बिक्री प्रमाण पत्र का पंजीकरण शीघ्रतम करवाना होगा अथवा क्रेता को एमओएचएफएल को पंजीकरण में विलम्ब के कारण उल्लेख करते हुए एक निवेदन पत्र देना होगा।
18. इच्छुक बोलीकर्ता/प्रस्तावकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधित्वकर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को ई-नीलामी/विक्रय प्रक्रियाओं में भागीदारी की अनुमति नहीं होगी। ऐसे प्राधिकरण पत्र को बिड दस्तावेजों के साथ जमा कराना आवश्यक होगा।
19. **विशेष निर्देश**: ई-नीलामी मोतीलाल ओसवाल होम फायनेंस लिमिटेड की ओर से पूर्व निर्धारित तिथि पर हमारे विक्रय एवं विपणन एवं ई-नीलामी सेवा भागीदार मे. इन्वेंटन सोल्यूशन्स प्रा. लिमिटेड द्वारा आयोजित की जायेगी, जबकि बोलीकर्ता अपने घर/कार्यालय/स्थान से अपने चयन के अनुसार आरक्षित मूल्य से अधिक पर बोली लगा सकेंगे। इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं अन्य सामग्री की सुनिश्चिता बोलीकर्ता को स्वयं करनी होगी। कृपया ध्यान दें, इंटरनेट कनेक्शन बाधित होने पर (चाहे यह किसी भी कारण से हो) केवल बोलीकर्ता की जिम्मेदारी ही होगी एवं न तो एमओएचएफएल न ही इन्वेंटन इन अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिये जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थितियों से बचने के लिए बोलीकर्ताओं से निवेदन है कि सभी आवश्यक प्रबंध/विकल्प आदि करें, ताकि ऐसी स्थितियों का दरकिनार कर नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। यद्यपि बोलीकर्ताओं से निवेदन है के उसका/उसकी अंतिम समय की बोली को बोली/सुधार से परहेज करें ताकि इस प्रकार की किसी जटिल परिस्थिति से बचाव हो सके।
20. यह हमारे पोर्टल https//:motilaloswalhf.com/eauction-pdf पर भी प्रकाशित है।

एनबी: कृपया ध्यान दें, सुरक्षित लेनदार सभी ऋणकर्ताओं/प्रतिभूतिकर्ताओं/गिरवीकर्ताओं को स्पीड/पंजीकृत डाक से विक्रय सूचना जारी कर रहे हैं। उस स्थिति में जब किसी भी पक्ष द्वारा इसे प्राप्त नहीं किया जाता है, तब विक्रय सूचना का यह प्रकाशन सेवा का प्रतिस्थापन माध्यम के रूप में मान्य किया जायेगा।

स्थान: मध्य प्रदेश
दिनांक : 26.10.2023
अनुवाद में त्रुटि या विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

हस्ता/-
प्राधिकृत अधिकारी
(मोतीलाल ओसवाल होम फायनेंस लिमिटेड)